भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 456
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि

456. श्री अजय कुमार मंडल:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती नवनित रवि राणाः
श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछुआरों और मात्स्यिकी उद्योगों की बेहतरी के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और नई पहलों के नाम और ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार के मछुआरों को क्या लाभ हुआ है;

(ग) पश्चिमी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों को अब तक जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मात्स्यिकी और जल कृषि के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है और मछुआरों का कल्याण योजना के मूल में है । पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान की जा रही गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, मछुआरों और मत्स्यन जहाजों को बीमा कवर, पारंपरिक मछुआरों को नावें और जाल, संचार/ट्रैकिंग उपकरण, समुद्री-सुरक्षा किट, गहरे समुद्र के मत्स्यन जहाज अधिग्रहण के लिए पारंपरिक मछुआरों को सहायता, वैकल्पिक आजीविका गतिविधियाँ जैसे सी वीड कल्चर और बाईवाल्व कल्चर, प्रशिक्षण और कौशल विकास, कोल्ड-चेन और विपणन सुविधाएं प्रदान करना और मत्स्यन नौकाओं/जहाजों की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग और सुचारू पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों के लिए फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेंटेर्स की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है ।

मत्स्यपालन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान मछुआरों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों सहित मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार सरकार के प्रस्तावों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों को 17118.62 करोड़ रु/- की लागत से मंजूरी दी है । पीएमएमएसवाई के तहत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार सरकार के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु/- करोड़ में)

क्रम सं .	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल परियोजना लागत**
(i)	**(ii)**	**(iii)**
1	बिहार	517.39
2	महाराष्ट्र	1118.79
3	पश्चिम बंगाल	426.89
	कुल	**2063.07**

अनुमान है कि पीएमएमएसवाई के तहत लगभग 10.97 लाख मछुआरे, मत्स्य किसान और अन्य हितधारक लाभान्वित हुए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में 4553 लाभार्थी, महाराष्ट्र में 17117 और बिहार में 66,072 लाभार्थी शामिल हैं । इसके अलावा, जल-कृषि किसानों, मत्स्य फार्मों और मत्स्यन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा तक आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान की, ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सके । अब तक पश्चिम बंगाल में 1387, महाराष्ट्र में 19,733 और बिहार में 9809 सहित कुल 1,69,476 केसीसी जारी किए गए हैं ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड के साथ फिशेरीस एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) लागू किया है । एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (एलीजीबल एंटीटीस) (ईई) को चिन्हित मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है । मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अब तक, मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के 27.99 करोड़ रु/-, महाराष्ट्र सरकार के 943.69 करोड़ रु/- की लागत की परियोजनाओं सहित विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 121 प्रस्तावों को 5588.63 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है, जबकि बिहार सरकार ने एफआईडीएफ के तहत अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । एफआईडीएफ के तहत पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण अनुबंध-I और अनुबंध- II में प्रस्तुत किया गया है ।

*****

अनुबंध- I

मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशेरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फ़ंड (एफ़आईडीएफ़) के संबंध में श्री अजय कुमार मंडल, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती नवनित रवि राणा और श्री सुनील कुमार पिन्टू, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा 05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर में संदर्भित विवरण

एफआईडीएफ के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का जिलेवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं	**परियोजना का नाम**	**जिले का नाम**	**कुल परियोजना लागत**
1	कोबाई, पूर्ब मेदिनीपुर में 10 एमटी ब्लास्ट फ्रीजर की स्थापना	पुरबा मेदिनीपुर	1.08
2	काकद्वीप फिशिंग हार्बर, दक्षिण 24 परगना में 10 मीट्रिक टन ब्लास्ट फ्रीजर की स्थापना	दक्षिण 24 परगना	1.08
3	इंग्लिशबाजार, मालदह में 250 मीट्रिक टन मल्टी परपस फिश कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	मालदह	3.74
4	सिलगुड़ी, दार्जिलिंग में 250 मीट्रिक टन बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	दार्जिलिंग	3.74
5	कैनिंग, दक्षिण 24 परगना में 25 मीट्रिक टन आइस प्लांट की स्थापना	दक्षिण 24 परगना	2.44
6	उत्तर 24 परगना के मलंचा में 25 मीट्रिक टन आइस प्लांट की स्थापना	उत्तर 24 परगना	2.44
7	सूला, पूर्व मेदिनीपुर में 25 मीट्रिक टन आइस प्लांट की स्थापना	पूर्ब मेदिनीपुर	2.44
8	भारतीय मेजर कार्प के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक्वाकल्चर फार्म मेकेनाईसेशन (300 किसानों को एरेटर की आपूर्ति)	पश्चिम बंगाल के 18 जिलों में	2.16
9	नादिया जिले में एफईआरटीसी, कल्याणी फिश फार्म में आईएमसी के लिए ब्रूड बैंड की स्थापना	नादिया	5.62
10	देशप्राण फिशिंग हार्बर, पेटुआघाट, जिला-पूर्व मेदिनीपुर में इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास	पूर्ब मेदिनीपुर	3.25
		कुल	**27.99**

अनुबंध- II

मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशेरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फ़ंड (एफ़आईडीएफ़) के संबंध में श्री अजय कुमार मंडल, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती नवनित रवि राणा और श्री सुनील कुमार पिन्टू, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा 05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर में संदर्भित विवरण

एफआईडीएफ के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का जिलेवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**परियोजना का नाम**	**जिले का नाम**	**कुल परियोजना लागत**
1	स्माल स्केल झींगा (श्रीम्प) हैचरी की स्थापना, मण्डाड	रायगढ़	1.50
2	बड़ा री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	अमरावती	0.50
3	बैकयार्ड बायोफ्लॉक आधारित एक्वाकल्चर यूनिट	नागपुर	0.09
4	नवोन्मेषी परियोजनाएँ - आरएएस इकाई	पुणे	0.62
5	फाइबरग्लास बोट की खरीद	रायगढ़	0.53
6	जिवाना, रायगढ़ में फिशिंग हार्बर	रायगढ़	185.48
7	भरदखोल रायगढ़ में फिशिंग हार्बर का विकास	रायगढ़	119.64
8	हरनाई तालुका रत्नागिरी में फिशिंग हार्बर	रत्नागिरि	221.31
9	सखारी नैट, रत्नागिरी फिशिंग हार्बर	रत्नागिरि	146.90
10	पालघर जिले के पालघर के पास सतपति में फिशिंग हार्बर का विकास	पालघर	267.12
		कुल	**943.69**

*****